न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 361/2015/डिक्री

किशनलाल पिता मोहनलाल ब्राह्म्ण
निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. सोहनलाल पिता गोकल ब्राह्म्ण
2. राधेश्याम पिता मोहनलाल ब्राह्म्ण
3. भगवानलाल पिता मोहनलाल ब्राह्म्ण
4. बालुराम पिता मांगु ब्राह्म्ण
   सभी निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
5. बरदू उर्फ बरदीशंकर मृतक के बजाय–
   1. शम्भुलाल पिता स्व. बरदुशंकर ब्रह्म्ण
   2. ललुराम पिता स्व. बरदुशंकर ब्रह्म्ण
   3. सत्यनारायण पिता स्व. बरदुशंकर ब्रह्म्ण
   4. मदनलाल पिता स्व. बरदुशंकर ब्रह्म्ण
   5. डाली पत्नि स्व. बरदुशंकर ब्रह्म्ण
      सभी निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
6. जानी पत्नि बक्षुलाल ब्राह्म्ण
   निवासी डिण्डोली हाल नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
7. मूलशंकर पिता गोकल ब्राह्म्ण
8. नारायण पिता गोकल ब्राह्म्ण
   दोनो निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
9. राज्य जरिये तहसीलदार, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
10. उप–पंजीयक राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राशमी
दिनांक 08.07.2015 प्रकरण सं. 422/2010

उपस्थित – 1. श्री राजेन्द्र सुखवाल – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1
3. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा – 3, 4, 5

निर्णय दिनांक– 13 .04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/07/2015 विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे नये पक्षकार के रूप मे संयोजित जानी पत्नि बक्षूलाल के जवाब

वास्ते नियत था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस अवस्था पर लेशमात्र ध्यान दिये बगैर विधि एवं नियमो को ताक मे रखकर केवल मात्र निपटारे के चक्कर से बगैर दोनो पक्षकारो की सहमति के बिना व दोनो पक्षकारो को सुने बिना लोक अदालत मे निर्णय पारित किया जो विधि विपरीत होकर काबिल खारीज है। अधीनस्थ न्यायालय वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन मे ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे उसका वाद साबित हो सके। अपीलान्ट ने अपने बचाव मे दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह पेश किये जिससे यह पूर्ण रूपेण ससाबित है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 717 रकबा 0.03 बीघा व आराजी नम्बर 1944 रकबा 0.05 बीघा पर अपीलान्ट व उसके भाई किशनलाल, राधेश्याम, व भगवानलाल का ही कब्जा चला आ रहा है न कि रेस्पोडेन्ट सोहनलाल का। रेस्पोडेन्ट सोहनलाल ने अपने वाद मे गोकल पिता रेतराम का पारिवारिक सजरा सही बताया है परन्तु नोला उर्फ भोला नाम को कोई व्यक्ति न होकर उसका सजरा निराधार व गलत बताया है परन्तु नोला उर्फ भोला का नाम कोई व्यक्ति न होकर उसका सजरा निराधार व गलत बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सजरे पर बेजा विश्वास किया है जबकि वादी ने अपने बयानो मे यह बताया है कि श्री किशनलाल उर्फ लाला पिता नोला उर्फ भोला का नाम का कोई व्यक्ति नही था। वादग्रस्त आराजी संख्या 1944 को पीडब्ल्युडी ने अधिग्रहित कर ली, होने से अधीनस्थ न्यायालय को बाद मे सुनवाई का क्षैत्राधिकार ही नही था। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/07/2015 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2 दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि पत्राली दिनांक 20/02/2013 को आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के जवाब हेतु नियत थी तथा दिनांक 31/03/2013 आगामी पेशी दिनांक 08/07/2015 पत्रावली मे अंतिम निर्णय कैम्प कोर्ट डिण्डोली तहसील राशमी मे पारित कर दिया गया जबकि उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित नही किया गया। अपील मे दो खसरो को लेकर विवाद है जिसमे खसरा नम्बर 717 रकबा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1944 रकबा 5 बिस्वा का विवाद चल रहा है। साबिक आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 779/01 रकबा 6 बिस्वा थी। इस प्रकरण मे सारा विवाद लाला उर्फ भोला नामक व्यक्ति को लेकर हुई है जो हमारे परिवार का सदस्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय मे हुये बनायात पीडब्ल्यु सोहनलाल तथा डीडब्ल्यु – 1 किशनलाल ने भी इस तथ्य को माना है। इसमे से खसरा नम्बर 1944 पीडब्ल्युडी ने अधिग्रहित कर

लिया। प्रदर्श–3 के अनुसार पीडब्ल्युडी ने इस भूमि के बदले दुसरी जमीन खसरा नम्बर 779/6 ग मे 8 बिस्वा दे दी है। तहसीलदार द्वारा भी इस सम्बन्ध मे दिनांक 07/04/2011 को दुरस्ती का प्रकरण प्रस्तुत किया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

3. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 88,89 तथा 188 आटीएक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध के पूर्व रेस्पोडेन्टस के नाम जमाबन्दी मे थे जो दौराने सेटलमेन्ट हटा दिये गये। उक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 78 पर उपलब्ध है। जमाबन्दी संवत् 2024– 27 मे खसरा परिसंशोधन मे नाम विलोपित कर दिया गया। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी भी खातेदार का नाम जोडने या हटानें का अधिकार नही है। लोक अदालत मे गुणावगुण पर दावा प्रमाणित मानकर निर्णय पारित किया गया है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि सेटलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान रेस्पोडेन्टस के नाम हटाये गये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 78 पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2024–24 मे गोकुल पिता रेतराम किशन पिता भोला ब्राह्म्ण नाम दर्ज है, जिसमे खसरा नम्बर 779/1 रकबा 6 बिस्वा मे बतौर खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा जाना न्यायोचित है कि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी प्रकार से खातेदार का नाम हटाने या जोडने या हिस्सा कम करने के किसी प्रकार विधिक अधिकार नही है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा प्रकरण संख्या 422/2010 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08/07/2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ